उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–82 / 2023

गोवर्धन सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं बलदास मुण्डा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01/10/24	इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी गोवर्धन सिंह, पिता–स्व० सुन्दर सिंह, निवास ग्राम–सुन्दर नगर, मतकमा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद संख्या–125 / 2019–20 / 189 / 2020–21 बलदास मुण्डा बनाम गोवर्धन सिंह में दिनांक–12.06.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध U/S 215 C.N.T. Act-1908 के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–मतकमा, थाना–पतरातू के खाता नं०–09 प्लॉट सं० 07 रकबा 0.14 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि यह भू वापसी अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के वाद संख्या–125 / 2019–20 / 189 / 2021–22 में दिनांक–12.06.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत भूमि पतरातू अंचल अन्तर्गत मौजा मतकमा के खाता नं०–09 प्लॉट सं०–07 रकबा–0.02 ए० से संबंधित है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विपक्षी को 0.12 ए० भूमि से भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है जबकि प्लॉट संख्या–07 का कुल रकबा–1.39 ए० है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा निबंधित डीड संख्या–8287 दिनांक–23.12.1981 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अपीलार्थी उक्त भूमि वास्तविक भू–स्वामी से क्रय किया है। अपीलकर्ता ने क्रय किए गए भूमि पर अपना मकान बनाया है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहा है। इसमें किसी भी तरफ से कोई रोक–टोक या आपत्ति नहीं है। मकान का निर्माण एक दिन का काम नहीं है, मकान निर्माण कार्य में पर्याप्त समय लगा होगा। जबकि भूमि क्रय करने, मकान निर्माण के समय प्रतिवादी संख्या–02 ने कार्यवाही में भूमि पर कोई आपत्ति या दावा या कब्जा नहीं किया। प्रासंगिक है कि खतियान राजस्व मांग में संपूर्ण भूमि अभिलेख सर्वे	

रैयत या उसके वंशजों के नाम पर नहीं चल रहा है। बल्कि ग्राम–गतकमा के खाता संख्या–09 की भूमि जो पहले ही बेची जा चुकी है या सरेंडर कर दी गई है, वह भूमि अभी भी खाता संख्या 07 के चालू राजस्व अभिलेखों से काटी गई है। अपीलकर्ता का 02 डी० भूमि पर दावा पर आधारित है। और किसी भी बिक्री विलेख (निबंधित डीड) को कानूनी रूप से संपर्क करने के बाद सिविल क्षेत्राधिकार के न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। निचली विद्वान अदालत 14 डी० भूमि के भू–वापसी का आदेश पारित किया गया है। जबकि अपीलकर्ता केवल 2 डी० भूमि का दावा कर रहा है, तो प्रश्न यह है कि शेष 12 डी० भूमि प्रतिवादी को कहां से लौटाई जाएगी। यह अपने आप में संदिग्ध आदेश है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के अधीन विद्वान न्यायालय ने मामले पर विधि के उचित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया तथा अपीलकर्ता के सभी वैध एवं सकारात्मक तथ्यों को नजर अंदाज कर दिया तथा भू–वापसी मामले में दिनांक–12.06.2023 को यथावत् 14 डी० भूमि दर्ज करने का विवादित आदेश पारित किया तथा अपीलकर्ताओं के तर्कों को दरकिनार कर दिया गया हैं। जांच के सभी पहलुओं से यह स्थापित सत्य है कि प्रतिवादी पिछले 50 वर्षों से विवादित भूमि से विधिक रूप से बेदखल है, जो बहाली मामले का निर्णय करते समय C.N.T Act की धारा–46 के अंतर्गत प्रावधान को प्रभावित करती है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के अधीन विद्वान न्यायालय को 12 वर्ष की सीमित अवधि के भीतर बलपूर्वक निपटाई गई भूमि को भू–वापसी करने का अधिकार है। विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक–12.06.2023 को पारित आदेश कानून और तथ्यों के विपरीत है। निम्न न्यायालय द्वारा C.N.T Act 1908 की धारा–46 के प्रावधानों पर विचार किए बिना भू–वापसी का आदेश पारित किया गया। इसके लिए खरीदी गई निबंधित डीड जो 12 वर्ष पुरानी है, एक प्रामाणिक दस्तावेज है, को पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकार करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह अपील आवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–125/2019–20/189/2020–21 बलदास मुण्डा बनाम गोवर्धन सिंह में दिनांक–12.06.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। ग्राम–मतकमा के खाता नं०–09 सर्वे खतियान में बिगन मुण्डा वल्द उगन मुण्डा कौम गुण्डा शाकिन देह के नाम से रैयती दर्ज है। खाता नं० 09 का भूमि की जमाबंदी पंजी II के पेज नं0–116/3 पर बिगन मुण्डा के नाम से कायम है। विपक्षी खाता न०–09 के खतियानी रैयत के वंशज है। विशेष जाँच दल (SIT) का जाँच प्रतिवेदन कि अपर समाहर्ता, रामगढ़ के पत्रांक–138 दिनांक–01.02.2016 के अनुसार उक्त जमीन बिगन मुण्डा वल्द उगन मुण्डा

कौम मुण्डा के नाम से रैयत दर्ज है। वर्तमान में उक्त जमीन सुधीर वर्मा जाति अ० पि० वर्ग के कब्जा में है, लगान रसीद निर्गत नहीं है। पर विशेष जाँच दल का टिप्पणी कि प्रतिवेदन अनुसार पश्चात खाता अनुसूचित जनजाति की है। अंचल अधिकारी, पतरातू के जाँच प्रतिवेदन द्वितीय पक्ष (अपीलार्थी), प्रथम पक्ष (उतरवादी) 8–10 वर्षों से बेदखल कर दिये हैं, इस लिए द्वितीय पक्ष (उतरवादी) के विरूद्ध ग्राम मतकमा के खाता नं०–09 प्लॉट नं०–07 रकवा 14 डी० भूमि पर भू–वापसी की कार्यवाही प्रारम्भ किया जा सकता है। उभय पक्षों को सुनने, अंचल अधिकारी, पतरातू एवं विशेष जाँच दल के प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन के पश्चात निम्न न्यायालय ने पाया कि मौजा–मतकमा के खाता नं०–09 प्लॉट नं० 07 की भूमि का अन्तरण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(4) (ए) के विरुद्ध किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा मौजा–मतकमा थाना पतरातू के खाता नं०–09 प्लॉट नं०–07 रकवा 14 डी० भूमि से द्वितीय पक्ष (अपीलार्थी) को उच्छेदित करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातू को 30 दिनों के अन्दर उक्त भूखण्ड पर खतियानी रैयत के वारिशानों को दखल दिलाकर, दखल दिहानी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भेजना सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–125 / 2019–20 / 189 / 2020–21 में आदेश सम्पूर्ण तथ्यों वाद में दाखिल कागजातों एवं जाँच प्रतिवेदनों एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46(4) (ए) के प्रावधान के अनुसार पारित किया गया है, जो विधि एवं तथ्य के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलार्थी का अपने अपील आवेदन में यह कहना कि प्रश्नगत भूमि केवाला से खरीद कर हासील किये को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उतरवादी अनुसूचित जन जाति के मुण्डा जाति से है। अनुसूचित जनजाति का भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा–46(4) (ए) के तहत बीना उपायुक्त के परमिशन के हस्तांतरण करना विधि विरुद्ध है। विपक्षी एवं उनके वारिशान प्रश्नगत भूमि को कभी भी बिक्री नहीं किये हैं। इस तथ्य के आलोक में अपीलार्थी का अपील का आवेदन खारीज करने योग्य है। अपीलार्थी का अपने अपील के आवेदन सर्वे से संबंधित है जो अभी पूर्ण नहीं है, इस लिए जारी सर्वे से संबंधित तथ्य एवं कागजात का कोई वैधानिक महत्व नहीं है। इस आलोक में भी अपीलार्थी का यह अपील का आवेदन खारीज करने योग्य है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा–46 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति के सदस्य के पास ही जो की उसी थाना क्षेत्र के निवासी है को उपायुक्त के परमिशन प्राप्त कर ही अपने भूमि का हस्तान्तरण कर सकते है। इस वाद में अपीलार्थी पीछड़ी वर्ग से है जबकि उतरवादी अनुसूचित जाति के मुण्डा जाति से है। अपीलार्थी के द्वारा बताया जा रहा केवाला जाली एवं बनावटी प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं कागजातों के आलोक में विपक्षी के विद्व अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अपील के आवेदन को खारिज करते हुए

भू–वापसी वाद संख्या 125/19–20/189/20–21 बलदारा मुण्डा बनाम गोवर्धन सिंह में दिनांक–12.06.2023 को निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी के द्वारा केवाला से भूमि प्राप्ति का दावा करते है जबकि विपक्षी को उक्त भूमि खतियानी से प्राप्त है। साथ ही साथ निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक–12.06.2023 को ही खतियानी रैयत के वंशजों को भूमि पर दखल दिहानी करा दी गई है। विपक्षी अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश नियमसंगत प्रतीत होता है।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से, सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। मौजा–मतकमा, थाना–पतरातू के खाता नं०–09 प्लॉट सं०–07 रकबा 0.14 ए० भूमि सर्वे खतियान में बिगन मुण्डा वल्द उगन मुण्डा कौम मुण्डा के नाम से रैयती दर्ज है। अपीलार्थी केवाला से भूमि प्राप्ति का दावा करते है। लेकिन उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आदिवासी खाते की भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी को बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से कैसे हुआ। अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गैर आदिवासी की कायम जमाबंदी के प्राधिकार कॉलम में किसी भी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है एवं बेदखली की अवधि लगभग 9–10 वर्ष है। इस प्रकार आदिवासी भूमि का हस्तांतरण गैर आदिवासी को होना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46-(4-A) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–125/2019–20/189/2020–21 बलदास मुण्डा बनाम गोवर्धन सिंह में दिनांक–12.06.2023 को पारित आदेश को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46-(4-A) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 01/10/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 01/10/24

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.11.28 13:42:05 +05:30
Location: 192.168.6.197